

मानक प्रक्रियाओं के साथ नैतिकता और आचरण संहिता पर छात्र पुस्तिका

1. प्रस्तावना

यह पुस्तिका विविध पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (इसके पश्चात “संस्थान” स्वरूप वर्णित होगा) में प्रवेश लिए सभी छात्रों के लिए संस्थान की मानक प्रक्रियाओं और प्रथाओं को इंगित करता है। सभी छात्रों को यह पता होना चाहिए कि नैतिकता और आचरण संहिता (इसके पश्चात “संहिता” स्वरूप वर्णित होगा) और इससे उत्पन्न प्रतिबंध सहित अधिकार और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए।

संस्थान इस संहिता को लागू करने के माध्यम से छात्र को ऐसी एक अनुशासन प्रक्रिया अपनाने की ओर प्रयास करेगा, जो समतावादी, ईमानदारी, प्रभावी और शीघ्रता हो; और ऐसी एक प्रणाली प्रदान करेगा जो व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से छात्र विकास को बढ़ावा देता है।

सभी छात्रों को इस संहिता से भली भांति परिचित होने का अनुरोध किया जाता है, जिसे संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर समीक्षा की जा सकती है।

2. अधिकार क्षेत्र

2.1 संस्थान के साथ जुड़े/प्रवेश लिए छात्रों के आचरण पर संस्थान अधिकारिता रखेगा और होगी तथा रैगिंग या उसी प्रकार घटनाएं जो संस्थान परिसर में गठित हो अथवा संस्थान से संबंधित गतिविधियों और कार्यों के संबंध में हो, सहित दुराचार के सभी कृत्यों का संज्ञान लेगा।

2.2 इस नीति और अन्य नियमों में निर्धारित अनुसार, परिसर के बाहर घटित आदर्श छात्र आचरण और अनुशासन का उल्लंघन करने के मामले पर भी संस्थान अपनी अधिकारिता को उसी प्रकार रखेगा, जब वह परिसर के अंदर ही गठित हो, जिसमें शामिल हैं:

- क) संस्थान के अन्य छात्रों के विरुद्ध संस्थान की यौन उत्पीड़न नीति के किसी भी उल्लंघन
- ख) शारीरिक हमला, हिंसा की आशंका, अथवा संस्थान के अन्य छात्रों सहित किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य या सुरक्षा पर खतरा पहुंचानेवाला आचरण;

- ग) परिसर में हथियार, विस्फोटक, या विनाशकारी उपकरणों को रखना या उसका उपयोग करना;
- घ) निषिद्ध दवाओं, शराब आदि की तैयारी, बिक्री, या वितरण;
- ड) आचरण जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या परिसर में और उसके आसपास के समुदाय के सदस्यों को बाधा होती है।

इस के साथ ऊपर दर्शाई गई स्थितियों में ऐसी परिसर के बाहर अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु संस्थान द्वारा निर्णय लेते हुए संस्थान कथित अपराध की गंभीरता और सम्मिलित नुकसान के जोखिम, क्या पीड़ित लोग परिसर के समुदाय के सदस्य हैं या नहीं, और/या दोनों परिसर में और परिसर के बाहर संभावित कार्यों की एक श्रृंखला का हिस्सा पर विचार करेगा।

3. नैतिकता और आचरण

- 3.1 यह संहिता संस्थान परिसर में आयोजित छात्रों के उन सभी प्रकार के संचालन के लिए लागू नहीं होगी जो विश्वविद्यालय प्रायोजित गतिविधियाँ, अन्य मान्यता प्राप्त छात्र संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम और किसी प्रकार के ऑफ-कैंपस फंक्शन, जो संस्थान के हितों या प्रतिष्ठा पर गंभीर परिणाम या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता हो।
- 3.2 प्रवेश लेते समय, प्रत्येक छात्र को और एक बयान इस संहिता को स्वीकार करते हुए कथन पर हस्ताक्षर करना होगा और वचन देना होगा
 - क) वह नियमित छात्र होगा तथा संस्थान में अपना अध्ययन पूरा करेगा।
 - ख) किसी वैध कारणवश छात्र को अपने अध्ययन को बंद करने की मजबूरी होने के सिलसिले में, डीन की लिखित सहमति के साथ छात्र को संस्थान से मुक्त किया जा सकता है।
 - a) इस तरह की मुक्ति के परिणामस्वरूप, संबन्धित छात्र को निलंबित छात्रावास/ मेस बकाया राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है तथा यदि उक्त छात्र संस्थान से छात्रवृत्ति ले रहा/रही है, तो उक्त अनुदान रद्द कर दी जाएगी।
- 3.3. संस्थान व्यवहार मानकों को लागू करके सुरक्षित और कुशल स्थिति को बढ़ावा देने में विश्वास रखता है। सभी छात्रों को अकादमिक अखंडता को बनाए रखना चाहिए, सभी व्यक्तियों और उनके अधिकारों और संपत्ति और दूसरों की सुरक्षा

आदि का सम्मान करना चाहिए।

- 3.4. सभी छात्रों को दुराचार के किसी या सभी रूपों को रोके रखना चाहिए, जिसमें परिसर के बाहर किसी भी गतिविधि, जिससे संस्थान के हितों और प्रतिष्ठा को काफी हद तक प्रभाव पड़ सकते हैं, शामिल है। कदाचार के विभिन्न रूपों में शामिल हैं :
- 3.5. व्यक्ति के लिंग, जाति, प्रजाती, धर्म या धार्मिक विश्वास, रंग, क्षेत्र, भाषा, विकलांगता, या यौन अभिविन्यास, वैवाहिक या परिवार की स्थिति, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, लिंग पहचान, आदि के आधार पर भेदभाव के किसी भी कृत्य (शारीरिक या मौखिक आचरण)
- 3.6. संस्थान संपत्ति या अन्य छात्रों और/या संकाय सदस्यों की संपत्ति जानबूझकर नष्ट करना।
- 3.7. कक्षा में या स्थान द्वारा प्रायोजित किसी घटना में किसी प्रकार की विघटनकारी गतिविधि।
- 3.8. संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र को प्रस्तुत करने में असमर्थ या परिसर के सुरक्षा गार्ड द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने के लिए मना करना।
- 3.9. भाग लेनेवाली गतिविधियों में शामिल हैं
 - 3.9.1 संस्थान से बिना अनुमति के बैठकों और जुलूस का आयोजन करना
 - 3.9.2 संस्थान/सरकार द्वारा प्रतिबंधित धार्मिक या आतंकवादी समूहों की सदस्यता स्वीकारना
 - 3.9.3 कानून या नीति के विपरीत किसी प्रकार के हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक, या संभावित हथियार, आतिशबाजी का अनधिकृत रूप में रखना या उसका उपयोग करना
 - 3.9.4 हानिकारक रसायनों और प्रतिबंधित दवाओं का अनधिकृत रूप में रखना या उसका उपयोग करना
 - 3.9.5 संस्थान के परिसर में धूम्रपान करना
 - 3.9.6 संस्थान में शराब रखना, उसका वितरण या बिक्री करना और/अथवा संस्थान के परिसर में खाली बोतलें फेंकना
 - 3.9.7 नो पार्किंग क्षेत्र में या अन्य प्रकार के वाहनों की पार्किंग के लिए निर्धारित क्षेत्र में वाहन पार्किंग करना
 - 3.9.8 परिसर में गाड़ी चला है कि दूसरों को असुविधा के कारण बनने के स्वरूप

परिसर में अविवेक रूप में गाड़ी चलाना

- 3.9.9 शैक्षिक प्रगति के लिए बाधा का कारण बननेवाले पहले ही मौजूद स्वास्थ्य की शारीरिक या मानसिक स्थिति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चुपाना
 - 3.9.10 दूसरों के संसाधनों की चोरी या अनाधिकृत उपयोग
 - 3.9.11 छात्र निकाय चुनावों के समय या संस्थान के किसी भी गतिविधि के दौरान कदाचार
 - 3.9.12 उच्छृंखल, भद्दा, या अशोभनीय आचरण सहित असीमित अनुचित शोर मचाना; धक्का देना और धकेलना; संस्थान में एक दंगा या समूह के विघटन में उकसाना या भाग लेना
- 3.10 संस्थान के प्राधिकारियों की अनुमति के बिना, संस्थान की ओर से छात्रों द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए या परिसर में पर मीडिया के लोगों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए।
 - 3.11 पूर्व अनुमति के बिना छात्रों द्वारा कक्षाओं में व्याख्यान या अन्य छात्रों, शिक्षकों, या कर्मचारियों के कार्यों को ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए।
 - 3.12 पूर्व अनुमति के बिना छात्रों को परिसर में गठित किसी भी गतिविधि की ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग मीडिया को उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं है।
 - 3.13 छात्रों द्वारा सोशल मीडिया के साथ सावधानी और जिम्मेदारी से निपटने की उम्मीद की जाती है। वे सोशल मीडिया पर संस्थान से अन्य व्यक्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट नहीं कर सकते या संस्थान की प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़नेवाली किसी भी गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए।
 - 3.14 संस्थान के कंप्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों जैसे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक संचार की सुविधाओं, प्रणालियों, और सेवाओं की चोरी या दुरुपयोग, जिसमें संस्थान संपत्तियों या सुविधाओं, कर्मचारी/प्रोफेसरों आदि के निजी घरों, कार्यालयों, कक्षाओं, कंप्यूटर नेटवर्क, और अन्य प्रतिबंधित सुविधाएं शामिल हैं और दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी दंडनीय है।
 - 3.15 संस्थान के किसी भी संपत्ति को अथवा संस्थान परिसर में दूसरों के किसी भी संपत्ति को हानि पहुंचाना या नष्ट करना।
 - 3.16 किसी व्यक्ति के संज्ञान और अभिव्यक्त सहमति के बिना, उस स्थान पर, जहां उक्त व्यक्ति अपनी गोपनीयता की उचित उम्मीद करता है, उक्त व्यक्ति का वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाना, तस्वीरें लेना, या वीडियो/ऑडियो लहराना ।

3.17 उत्पीड़न के किसी भी रूप में लिप्त, जो गंभीर और निष्पक्ष आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है, व्यक्ति की जाति, रंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, नागरिकता, धर्म, आयु, यौन अभिविन्यास, लिंग, लिंग पहचान, वैवाहिक स्थिति, वंश, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, चिकित्सीय स्थिति के आधार पर प्रेरित आचरण।

4 अगर कोई छात्र आचार संहिता के संभावित उल्लंघन के खिलाफ कोई मामले के अधीन है, तो उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए समिति का गठन किया जाएगा, जो कथित उल्लंघन की जांच करेगी और तदनुसार छात्र के खिलाफ कार्रवाई करने की सुझाव देगी। समिति दुराचार का पता लगाने हेतु छात्र से मिलेगी और दुराचार की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित अनुशासनात्मक कार्रवाई में से एक या अधिक के लिए सुझाव देगी।

4.1 चेतावनी - यह दर्शाता है कि उक्त अपराधी छात्र द्वारा किया गया कार्य संहिता का उल्लंघन है और कदाचार के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4.2 प्रतिबंध - भर्त्सना और एक निर्धारित अवधि के लिए परिसर में विभिन्न सुविधाओं को सीमित करना।

4.3 सामुदायिक सेवा - यदि जरूरत पड़े, तो निर्दिष्ट अवधि को बढ़ाया जाए। तो भी, लगाई गई किसी भी शर्तों का पालन करने में विफलता होने से निलंबन या निष्कासन सहित गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कारण बनेगा।

4.4 निष्कासन - छात्र को संस्थान से स्थायी रूप में निष्कासन करना। संस्थान परिसर में या किसी भी छात्र से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने से या परिसर घरों आदि में प्रवेश करने से निषेध।

4.5 मौद्रिक दंड - विशिष्ट अवधि के लिए छात्रवृत्ति/फैलोशिप की जब्ती या निलंबन भी शामिल।

4.6 निलंबन - विशिष्ट अवधि के लिए छात्र को निलंबित किया जाना, जिसमें छात्र संबंधित गतिविधियों, कक्षाओं, कार्यक्रमों आदि में भाग लेने पर निषेध करना शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, जब तक सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त है, तब तक छात्र को संस्थान की विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने के लिए वंचित किया जाएगा। निलंबन के साथ संभाव्य

बर्खास्तगी और अतिरिक्त दंड भी हो सकते हैं।

4.7 तीन वर्ष की अवधि के लिए संस्थान में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए अनर्ह होना, और

4.8 अध्ययन किए पाठ्यक्रम या किए गए कार्य के ग्रेड कार्ड या प्रमाण पत्र को रोके रखना

5 **अपील** : अपराधी छात्र यदि ऊपर उल्लिखित दंड से पीड़ित होने पर वह निदेशक को अपील कर सकता/सकती है। निदेशक निम्न में से एक पर निर्णय ले सकते हैं:

5.1 समिति की सिफारिश को स्वीकार करने और समिति द्वारा सुझाए अनुसार दंड लगाना अथवा इस संहिता में निर्धारित अनुसार किसी भी दंड को संशोधित करना और लागू करना, जो साबित दुराचार की गंभीरता के अनुरूप हो, या

5.2 पुनर्विचार के लिए मामले को समिति के पास पुनः भेज देना।

जहां तक छात्र द्वारा किए गए संभाव्य दुराचार के किसी भी मामले में निदेशक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

6 अकादमिक अखंडता

वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए एक अग्रणी संस्था के रूप में संस्थान अकादमिक अखंडता के मूल्यों को मानता है और अकादमिक अखंडता के सिद्धांतों पर के आधार पर बौद्धिक और नैतिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अकादमिक अखंडता के अंतर्गत ईमानदारी और जिम्मेदारी तथा अनुसंधान और छात्रवृत्ति के संचालन के लिए नैतिक मानकों से संबंधित जागरूकता शामिल है। संस्थान का मानना है कि सभी शैक्षणिक कार्य में दूसरों के विचार और योगदान को उचित रूप से स्वीकारना है। संस्थान की सफलता और अपने अनुसंधान मिशन के लिए अकादमिक अखंडता अनिवार्य है, अतः अकादमिक अखंडता के उल्लंघन को गंभीर अपराध ही माना जाएगा।

6.1 कार्यक्षेत्र और उद्देश्य

क) अकादमिक अखंडता पर यह नीति, जो कोड का एक अभिन्न अंग है, संस्थान में सभी छात्रों के लिए लागू होती है तथा उक्त नीति का पालन करना जरूरी है। नीति का दुगना उद्देश्य है :

- अकादमिक अखंडता के सिद्धांतों को स्पष्ट करना, तथा
- बेईमान आचरण और अकादमिक अखंडता का उल्लंघन के उदाहरण प्रदान करना

ध्यान दें : ये उदाहरण केवल निदर्शी हैं, संपूर्ण नहीं।

ख) अकादमिक अखंडता के इन सिद्धांतों की रक्षा करने में विफलता से दोनों विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और अपने छात्रों को सम्मानित किया गया के डिग्री मूल्य पर खतरा होता है। अतः विश्वविद्यालय समुदाय के हर सदस्य को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है कि शैक्षणिक ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बरकरार रखा जाता है।

ग) अकादमिक अखंडता के सिद्धांतों की आवश्यकता यह है कि प्रत्येक छात्र -

- दूसरों के विचारों, परिणामों, सामग्री या शब्दों की उपयोगिता को उचित रूप से स्वीकार करता है और उसका उल्लेख करता है।
- कार्य के अंग में सहायता किए सभी योगदानकर्ताओं को उचित रूप से स्वीकार करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि अपने पाठ्यक्रम या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में अपने खुद के रूप में प्रस्तुत सभी कार्यनाजायज सामग्री या नाजायज सहयोग की सहायता के बिना किया गया है।
- नैतिक माध्यम से सभी डेटा या परिणाम प्राप्त करके अपनी व्याख्या या निष्कर्ष के साथ असंगत किसी भी परिणाम को दबाने के बिना सही तरीके से उल्लेख किया गया है।
- अन्य सभी छात्रों को नैतिक रूप में मानकर उनकी ईमानदारी और अधिकार का सम्मान करके हस्तक्षेप के बिना अपने शैक्षिक लक्ष्य को हासिल करना है। इसके लिए यह अपेक्षित है कि एक छात्र न तो दूसरों के द्वारा शैक्षणिक बेईमानी की सुविधा पहुँचाता है न ही अपनी शैक्षिक प्रगति पर नुकसान कर लेता है।

6.2 इस नीति के उल्लंघन में शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं कि :

(i) साहित्यिक चोरी का अर्थ है कि मूल स्रोत को उचित रूप में स्वीकार किए बिना सामग्रियों, विचारों, आंकड़ों, कोड या डेटा के उपयोग करना। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित या किसी के द्वारा पहले ही प्रकाशित, शब्दशः अथवा संक्षिप्त व्याख्या में सामग्रियों को प्रस्तुत करना भी इसमें शामिल होगा।

साहित्यिक चोरी के उदाहरण में शामिल हैं :

- क) रिपोर्ट, पुस्तक, शोध, प्रकाशन या इंटरनेट से पाठ/वाक्य को पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में पुनर्प्रस्तुति
- ख) किसी के पहले प्रकाशित डेटा, चित्रण, आंकड़े, चित्र या किसी और के डेटा, आदि की पुनर्प्रस्तुति
- ग) कक्षाओं के नोटों से सामग्री लेना या इंटरनेट से रेखांकन, आरेख, तस्वीरें, रेखा-चित्र, टेबल, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर प्रोग्राम की सामग्री या उचित रोपण के बिना किसी के वर्ग रिपोर्ट, प्रस्तुतियों, पांडुलिपियों, शोध पत्रों या शोध प्रसंग के अन्य स्रोतों से अन्य गैर शाब्दिक सामग्री को शामिल करना।
- घ) स्व साहित्यिक चोरी, जिसमें उचित उद्धरण रहित पत्रिका या सम्मेलन की कार्यवाही में किसी के द्वारा पहले प्रकाशित कार्य से शब्दशः नकल करना शामिल है। ड.) पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने हेतु खरीदे गए या डाउनलोड किए परीक्षा पेपर या अन्य सामग्री को प्रस्तुत करना
- च) बिना उद्धरण के लेखक के शब्दों या शैली को संक्षिप्त व्याख्या करना या बदलना।

(ii) धोखा देना

धोखा देने में शामिल, लेकिन सीमित नहीं है कि :

- (क) परीक्षाओं के दौरान नकल करना, और होमवर्क कार्य, परीक्षा पेपर, शोध प्रसंग और पांडुलिपियों को नकल करना ।
- (ख) नकल करने की अनुमति देना या उसका समर्थन करना, किसी और के लिए रिपोर्ट लिखना या परीक्षा लिखना।
- (ग) अनधिकृत सामग्री का उपयोग, अधिकृत नहीं होने से नकल करना या उसका सहयोग करना, और विभिन्न स्रोतों से पेपर या सामग्री को खरीदना या उधार लेना।
- (घ) डेटा का जोड़न करना (तैयारी) या हेराफेरी (जोड़ तोड़) करना और शोध प्रसंग और प्रकाशनों में उसे सम्मिलित करना।
- (ङ) स्रोतों या उद्धरण को सृजित करना, जो अस्तित्व में नहीं हैं।
- (च) पहले का मूल्यांकित कार्य को बदलना और पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्य को पुनः प्रस्तुत करना।
- (छ) अध्ययन कार्य, रिपोर्ट, शोध पत्र, शोध प्रसंग या उपस्थिति पत्रक पर किसी अन्य

छात्र के नाम पर हस्ताक्षर करना।

(iii) सरोकार की संघर्ष : शिक्षण, अनुसंधान, प्रकाशन, समितियों पर काम करना, अनुसंधान के वित्तपोषण और परामर्श जैसे विविध गतिविधियों में व्यावसायिक गतिविधियों के साथ व्यक्तिगत या निजी हितों का टकराव होने से सरोकार की संभावित संघर्ष हो जाती है। सरोकार की संघर्ष से उत्पन्न होने वाली किसी भी अनौचित्य कार्य से बचने के लिए वास्तविक पेशेवर स्वतंत्रता, निष्पक्षता और प्रतिबद्धता को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

सरोकार की संघर्ष व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए ही सीमित नहीं है; यह सहकर्मी की समीक्षा सहित विभिन्न समितियों पर सेवारत पेशेवर शैक्षणिक गतिविधियों की एक बड़ी सरगम तक फैली हुई है, उदाहरण के लिए विदेशी धन या मान्यता, साथ ही सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने देती है।

पारदर्शिता को बढ़ावा देने और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सरोकार की संभावित संघर्ष को उचित प्राधिकारियों को लिखित रूप में खुलासा किया जाना चाहिए ताकि मामला-दर-मामला के आधार माना निर्णय लिया जा सके। संसाधनों के साथ कार्यरत निम्न अनुभाग में कुछ अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध है।

4.3 लापरवाही के साथ जानबूझकर बेईमानी के विरुद्ध सुरक्षा के लिए शैक्षणिक संचालन संबंधी दिशा-निर्देश नीचे दिए गए :

(क) प्रायोगिक और कम्प्यूटेशनल कार्य के लिए उचित पद्धति का प्रयोग करें। सही वर्णन और डेटा संकलन करें।

(ख) ध्यान से अभिलेख करें और प्राथमिक और माध्यमिक डेटा को बचाए रखें जैसे, मूल चित्र, साधन डेटा रीड आऊट, प्रयोगशाला नोटबुक, और कंप्यूटर फ़ोल्डर, आदि। वहाँ छवियों/छायाचित्रों के न्यूनतम डिजिटल हेरफेर होना चाहिए; मूल संस्करण को जांच के लिए बचाया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो, तो किए गए परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए।

(ग) प्रयोगों और सिमुलेशन के मजबूत प्रतिलिपिकरण और सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। डेटा के बारे में सही होना जरूरी है और एक प्रभावशाली आंकड़ा बनाने के लिए कुछ डेटा बिंदुओं चूकना नहीं चाहिए। (जिसे सामान्यतः "चेरी पिकिंग" कहा जाता है)

(घ) प्रयोगशाला नोटों को अच्छी तरह से मुद्रित पृष्ठ संख्या के साथ बाउंड नोटबुक में बनाए रखा जाना चाहिए, जिससे प्रकाशन या एकस्वीकरण के दौरान जांच की जा

सके। प्रत्येक पृष्ठ पर तारीख का संकेत दिया जाना चाहिए ।

(ड) अपने ही शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखें। कक्षा कार्य, पांडुलिपियों और शोध कार्यों के लिए इंटरनेट या अन्य स्रोतों से "प्रतिलिपि करें और चिपकाएं" (कॉपी और पेस्ट) प्रलोभन से बचने की आवश्यकता है।

(च) पिछली रिपोर्टें, विधियों, कंप्यूटर प्रोग्राम, आदि को उचित प्रशंसा के साथ समुचित श्रेय दें। अपने स्वयं प्रकाशित कार्य से ली गई सामग्री को भी उद्धृत करें; जैसा कि ऊपर उल्लेख किया है, अन्यथा इसे आत्म-साहित्यिक चोरी माना जाएगा।

6.3. व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी : निभाई जा रही भूमिका के साथ जिम्मेदारी बदलती रहती है।

क) छात्र की भूमिका : विभाग में अपने शोध (एम. टेक, एम.टेक (अनु), या पीएचडी) प्रस्तुत करने से पहले, छात्र की यह दायित्व होगी कि वेब (संसाधन नीचे देखें) पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर के उपयोग से साहित्यिक चोरी के लिए अपने शोध की जांच करें। इसके अलावा, छात्र को यह घोषित करना होगा कि वह / उन्हें संस्थान के शैक्षणिक दिशा-निर्देशों के बारे में जात है, साहित्यिक चोरी के लिए दस्तावेज की जाँच की है, और शोध मूल कार्य है। वेब की जांच से साहित्यिक चोरी खारिज नहीं की जाती। यदि छात्र को अकादमिक अखंडता नीति के किसी भी उल्लंघन के बारे में पता चलता है या देखने को मिलती है तो उसे समय पर दुराचार रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ख) संकाय की भूमिका : संकाय सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रयोगों, कम्प्यूटेशनल और सैद्धांतिक घटनाओं के लिए उचित तरीके अपनाए गए हैं और उक्त डेटा को ठीक से दर्ज की गई है और भविष्य में संदर्भ के लिए रक्षा किए गए हैं। इसके अलावा, उनको पांडुलिपियों और शोध कार्य को सावधानी से समीक्षा करनी चाहिए। अकादमिक अखंडता से संबंधित उपर्युक्त मुद्दों के व्यक्तिगत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। न्यूनतम शैक्षणिक बेईमानी सुनिश्चित करने के लिए, तथा अकादमिक अखंडता के उल्लंघन को समय पर और उचित रूप से निपटने के लिए उनके विशिष्ट पाठ्यक्रमों के अंदर संस्थान के अकादमिक अखंडता नीति के बारे में संकाय सदस्यों द्वारा छात्रों को सूचित करने की उम्मीद की जाती है।

ग) संस्थागत भूमिका : अकादमिक अखंडता का उल्लंघन दोनों व्यक्ति और संस्थान के लिए लंबे समय तक चलते परिणामों के साथ एक गंभीर अपराध है, और यह विभिन्न प्रतिबंधों के लिए नेतृत्व कर सकता है। एक छात्र के मामले में शैक्षणिक उल्लंघन का पहला उल्लंघन के लिए चेतावनी और/अथवा “एफ़” कोर्स ग्रेड दिया जाएगा। दोहराने के अपराध, यदि पर्याप्त गंभीरता समझी जाए, से निष्कासन किया जा सकता है। यह सिफारिश की जाती है कि संकाय किसी भी शैक्षणिक उल्लंघन के बारे में अपने विभागाध्यक्ष के संज्ञान में लाएँ। लाने के लिए। वैज्ञानिक दुराचार की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, निदेशक को मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करनी है और मामले के आधार पर उचित उपायों का सुझाव दी जा सकती है।

संदर्भ:

- [1] National Academy of Sciences article “On being a scientist,” http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=4917&page=R1
- [2] <http://www.admin.cam.ac.uk/univ/plagiarism/>
- [3] <http://www.aresearchguide.com/6plagiar.html>
- [4] <https://www.indiana.edu/~tedfrick/plagiarism>
- [5] <http://www.files.chem.vt.edu/chem-ed/ethics/index.html>
- [6] http://www.ncusd203.org/central/html/where/plagiarism_stoppers.html
- [7] <http://sja.ucdavis.edu/files/plagiarism.pdf>
- [8] <http://web.mit.edu/academicintegrity/>
- [9] <http://www.northwestern.edu/provost/students/integrity/>
- [10] <http://www.ais.up.ac.za/plagiarism/websources.htm#info>
- [11] <http://ori.dhhs.gov/>
- [12] <http://www.scientificvalues.org/cases.html>

7 रैगिंग के विरोध

संस्थान में सुसंगत और प्रभावी रैगिंग-विरोधी नीति है, जो “उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराई को रोकने पर यूजीसी नियमन, 2009” [इसके उपरांत “यूजीसी नियमन” वर्णित होगा] पर आधारित है। सभी भारतीय शैक्षिक संस्थानों और कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के लिए और निषेध करने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर यूजीसी विनियम बनाए गए हैं। उक्त यूजीसी विनियम संस्थान और छात्रों के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे और इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए छात्र यूजीसी वेबसाइट

<http://www.ugc.ac.in/page/Ragging-Related-circulars.aspx> से प्राप्त कर सकते हैं।

7.1 रैगिंग में निम्न कृत्यों में से एक या उससे अधिक शामिल हो सकता है:

- क) किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा किसी भी आचरण, जो किसी छात्र के साथ अशिष्ट चिढ़काव, व्यवहार का शब्दों या लिखित रूप में की गई प्रभावी चेष्टा हो;
- ख) किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त हो, जिससे किसी अन्य छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक या मानसिक नुकसान या उसका भय या आशंका को बढ़ाने का कारण बन गया हो;
- ग) किसी छात्र को ऐसा कार्य करने को कहना, जो उक्त छात्र द्वारा साधारण रूप से न किया जा सकता और शर्म या पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना पैदा करने या कारण बन सकता ताकि छात्र के काया या मानस को प्रतिकूल रूप में प्रभावित हो सके;
- घ) वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी कार्य, जो किसी छात्र की नियमित शैक्षणिक गतिविधि को रोकता या बाधित या परेशान करता हो;
- ङ) एक व्यक्ति या छात्रों के एक समूह को सौंपे गए शैक्षणिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी छात्र की सेवाओं का शोषण करना;
- च) अन्य छात्रों द्वारा किसी छात्र पर चढ़ाये गए वित्तीय जबरन वसूली या सशक्त व्यय बोझ का कार्य;
- छ) सभी वेरिएंट सहित शारीरिक शोषण के किसी प्रकार का कृत्य : व्यक्ति को या उसके स्वास्थ्य को खतरा पहुँचने के बननेवाले यौन शोषण, कपड़े उतारना, अश्लील और भद्दा कार्य, चेष्टा करवाना;
- ज) बोले गए शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा किसी प्रकार के कार्य या दुष्प्रयोग, जिसमें किसी अन्य छात्र को सक्रिय या निष्क्रिय असहजता में भाग लेने, विकृत सुख पाने, कामुक या परपीड़क रोमांच भी शामिल है;
- झ) किसी अन्य छात्र का मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करनेवाला किसी प्रकार का कार्य अथवा एक छात्र द्वारा किसी अन्य छात्र पर ताकत या प्राधिकारी या श्रेष्ठता दिखाकर इरादे के बिना परपीड़क आनंद लेना।

7.2 रैगिंग - विरोधी समिति:

छात्रों के मामलों के सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशक द्वारा गठित रैगिंग-विरोधी समिति द्वारा रैगिंग-विरोधी की सभी शिकायतों की जांच की जाएगी तथा घटना की प्रकृति के आधार पर सिफारिश की जाएगी। छात्रों के मामलों के सलाहकार द्वारा समिति की अध्यक्षता की जाएगी तथा डीन, छात्र सलाहकार, संकाय सलाहकार, संबंधित विभाग के अध्यक्ष समिति के सदस्य हो सकते हैं।

7.3 रैगिंग - विरोधी दस्ता

छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए परिसर समुदाय के विभिन्न सदस्यों सहित एक लघु निकाय, रैगिंग-विरोधी दस्ता का गठन किया गया है। उक्त दस्ते द्वारा समुदाय में होनेवाली रैगिंग घटनाओं पर निगरानी रखी जाएगी और गश्त गतिविधियों का कार्य किया जाएगा। छात्रों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि दस्ता सक्रिय है और हर समय सतर्क है तथा रैगिंग संभावित स्थानों का निरीक्षण करने, हॉस्टल और संस्थान में अन्य प्रमुख स्थानों पर अचानक छापा करने के लिए सशक्त है। दस्ता रैगिंग की घटनाओं की भी जांच कर सकते हैं तथा रैगिंग-विरोधी समिति को अपनी सिफारिशें देगा और यह रैगिंग-विरोधी समिति के मार्गदर्शन के तहत कार्य करेगा।

7.4 समिति द्वारा दोषी पाये गए छात्र को रैगिंग-विरोधी समिति द्वारा अधिरोपित अनुसार निम्नलिखित में से एक या उससे अधिक दंड दिया जाएगा :

- क) वर्गों में भाग लेने और शैक्षणिक विशेषाधिकारों से निलंबन।
- ख) छात्रवृत्ति/फेलोशिप और अन्य लाभों को रोकना/वापस लेना।
- ग) किसी भी परीक्षा/ परीक्षण या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित प्रदर्शित होने से वंचित करना।
- घ) परिणाम को रोके रखना
- ङ) किसी प्रकार के सहयोगी कार्य करने या अपने अनुसंधान कार्य को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/बैठकों में भाग लेने से वंचित करना।
- च) हॉस्टल और मेस से निलंबन/निष्कासन।
- छ) प्रवेश का रद्दीकरण।
- ज) संस्था से निष्कासन और उसके फलस्वरूप निर्धारित अवधि के लिए किसी अन्य संस्था में प्रवेश लेने से वंचित करना।
- झ) रैगिंग कार्य करने या उकसाने वाले व्यक्तियों के बारे में पता न चलने की स्थिति में संस्थान द्वारा सामूहिक दंड का सहारा लिया जाएगा।
- ञ) यदि आवश्यक हो, तो रैगिंग कार्य की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज किया जाएगा।

प्रत्येक रैगिंग की घटना के तथ्यों और परिस्थितियों और रैगिंग की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए संस्थान की रैगिंग-विरोधी समिति द्वारा दंड का अधिरोपण सहित उचित निर्णय लिया जाएगा।

7.5 इसमें उल्लिखित किसी भी दंडादेश के विरुद्ध किए जानेवाले अपील निम्नाधीन होगा:

i) संस्थान से संबन्धित या आंशिक रूप में संस्था के आदेश के मामले में, संस्थान के निदेशक प्राधिकार होंगे।

8 यौन उत्पीड़न

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का रोकथाम और निषेध पर संस्थान की नीति, 2016 यथोचित परिवर्तनों सहित संस्थान के छात्रों के लिए भी लागू होगी और <http://www.iisc.ernet.in/misc/harashment.htm> पर छात्रों द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। छात्रों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि यौन दुराचार और उत्पीड़न आचरण में यौन उत्पीड़न, अवांछित स्पर्श या लगातार अनिष्ट विवेचना, अपमान या अपमानजनक यौन प्रकृति के ई-मेल या तस्वीरें भी शामिल होंगे, जो उत्पीड़न प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होता है।

9 छात्र शिकायत प्रक्रिया

संस्थान के किसी भी छात्र यदि इसमें परिभाषित एवं कथित अनुसार यौन उत्पीड़न, कदाचार या रैगिंग के किसी भी कृत्य से पीड़ित हैं, तो वे संस्थान के छात्र शिकायत निवारण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि किसी भी छात्र, जिनको किसी भी उल्लंघन के बारे में पता चलता है, तो वे भी इस कक्ष में रिपोर्ट कर सकते हैं। उक्त कक्ष के सदस्य निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कथित शिकायत लिखित रूप में होना चाहिए तथा कथित उल्लंघन के दिन से 60 दिनों के अंदर पेश किया जाना चाहिए। कक्ष को शिकायत का संज्ञान लेना चाहिए और इस संहिता को लागू करने के लिए गठित समिति को अथवा किसी भी यौन उत्पीड़न की शिकायतों के मामलों में आंतरिक शिकायत समिति को सूचित किया जाना चाहिए।

10 शासन के छात्र की भागीदारी

जैसा कि छात्र संस्थान परिसर के सदस्य हैं, संस्थान के शासन में वे पर्याप्त रुचि

रखते हैं। निर्धारित कोड, नीतियों और साथ की विभिन्न प्रक्रियाओं से यह अपेक्षित है कि दोनों प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के अनुशासन में छात्र की भागीदारी का सिद्धांत जरूरी है और यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सभी मौकों पर बेहतर निर्णय लेने के लिए छात्रों को अपने विचार और सलाह प्रकट करने में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी स्तरों में छात्रों की भागीदारी के माध्यम से छात्र भागीदारी प्रोत्साहित किया जाना है और मजबूत बनाया जाना चाहिए। अतः संस्थान का अंग तथा संस्थान में प्रवेश लेनेवाले सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे नीति को बनाए रखें तथा किसी भी उल्लंघन के बारे में संस्थान को सूचित करें और इस संहिता और संलग्न नीतियों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक सहायता प्रदान करें।

संदर्भ – <http://deanofstudents.ucsc.edu/student-conduct/student-handbook/pdf/120.0-policy-student-participation-governance.pdf>